<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।</u>

<u>सत्र परीक्षण संख्या : 286 सन् 2025</u>

राज्य — अपराध सं० 464/2024

बनाम — अन्तर्गत धारा–103(1) बी.एन.एस.

रफीक अहमद — थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

<u>दिनांक: 14-05-2025</u>

पुकारा गया।

अभियुक्त **अभिषेक चौधरी** जेर–ए–जमानत मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त के विरूद्ध लगे आरोप को बताया तथा यह भी बताया कि किन साक्ष्यों के आधार पर आरोप को प्रमाणित किया जायेगा।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्त पर लगाये गये आरोप प्रमाणित हो सके।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त रफीक अहमद के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-103 (1) के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है जिनके आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रथम दृष्टया उपरोक्तानुसार अपराध कारित किया जाना प्रदर्शित होता है। अतः अभियुक्त रफीक अहमद के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-103(1) के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाय।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 20-06-2025 को पेश हो। कैलेण्डर के अभियोजन साक्षीगण को समन जारी हो।

दिनांक :14-05-2025

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़।

Digitally signed by JAI PRAKASH PANDEY
Date: 2025.05.14 14:24:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।</u>

<u>सत्र परीक्षण संख्या : 286 सन् 2025</u>

राज्य — अपराध सं० 464/2024

बनाम — अन्तर्गत धारा–103(1) बी.एन.एस.

रफीक अहमद — थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

<u>आरोप</u>

मैं, जय प्रकाश पाण्डेय, सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ आप अभियुक्त **रफीक अहमद** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ :–

प्रथम:–यह कि दिनांक 19.11.2024 को समय 8 बजे सुबह के पश्चात व दिनांक 20.11.2024 को समय लगभग 12 बजे दिन के मध्य बहद स्थान असरफिया यूनिवर्सिटी के बगल में तालाब के किनारे थाना मुबारकपुर की सीमा में आप अभियुक्त तथा वादिनी मुकदमा छोहाड़ी देवी के पति बालकिशुन शराब पीने गये। उसी समय शराब लाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया जिस कारण आपने वादिनी मुकदमा के पति बालकिशुन के सिर पर ईंट मारकर हत्या कारित कर दी। इस प्रकार आपने **भारतीय न्याय संहिता की धारा–103 (1)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

दिनांक :14.05.2025

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने उपरोक्त आरोप से इंकार किया।

दिनांक :14.05.2025

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़।